के. कन्नन के समक्ष, न्यायाधीश।

रंजीत *सिंह, अपीलकर्ता*

बनाम

पूनम,—*प्रतिवादी*

एफएओ नं. 2011 का एम-130

27 अप्रैल ,2011

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995- धारा 13- ख- आपसी सहमति से तलाक के लिए दायर याचिका - पक्षकारों की सहमति प्राप्त करने के लिए छह माह के बाद मामला मांगा गया- पत्नी यह बयान दे रही है कि वह उस दिन बयान देने के लिए तैयार नहीं है- पति की सहमति न होने की याचिका खारिज कर दी गई - पति द्वारा चुनौती दी गई कि याचिका खारिज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पत्नी ने सहमति वापस नहीं ली थी- बाद में पत्नी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर की गई याचिका- ऐसी बाद की घटना यह साबित करती है कि पत्नी आपसी सहमति से तलाक हासिल करने के लिए समझौते की शर्तों से खड़े होने के लिए तैयार नहीं है- बाद की घटना को देखा जा सकता है- अपील खारिज कर दी गई।

यह माना जाता है कि यद्यपि अपील सामान्य रूप से केवल पारित आदेश की वैधता या शुद्धता की जांच कर रही होगी, यहां एक बाद की घटना जो हुई है, उसने खुद साबित कर दिया कि यह तथ्य कि पत्नी आपसी सहमति से तलाक हासिल करने के लिए उनके बीच दर्ज किए गए समझौते की शर्तों से खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। इस मामले में हालांकि अदालत द्वारा याचिका को खारिज करना उचित नहीं था, क्योंकि, यह निश्चित सबूत के बिना एक आदेश पारित कर रहा था कि वह सहमति से वापस ले रही थी, बाद में यह तथ्य कि पत्नी ने वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए आवेदन दायर किया था, यह दर्शाता है कि वह आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते से खड़े होने को तैयार नहीं थी। यदि उसे सहमति वापस ले ली गई थी, तो पति के लिए यह तर्क देने का आधार होगा कि पार्टियों के बीच समझौता हुआ था और तलाक हासिल करने के लिए राशि का भुगतान किया गया है। कानून के तहत यह संभव है कि एक व्यक्ति 6 महीने के भीतर उसी से सहमत होने के लिए समझौता करके तलाक के लिए सहमत हो जाता है और जब तक कि पहले से कोई डिक्री पारित नहीं होती है, तब तक पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए की गई कार्रवाई को एक घटना के रूप में लिया जाएगा जो दर्शाता है कि वह समझौते से खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी और

आपसी सहमति से तलाक की डिक्री भुगतने के लिए तैयार नहीं थी।

(पैरा 5)

भरत बीर सिंह सोबती, एडवोकेट, - ***अपीलकर्ता।***

के. कन्नन जस्टिस। (मौखिक)

(1) यह अपील हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-1 के तहत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ है। एक दिन। याचिका दायर होने के छह महीने बाद, जब आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त करने के लिए मामला अदालत के समक्ष बुलाया गया, तो पत्नी ने इस प्रकार एक बयान दिया:

मैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आज बयान नहीं देना चाहता।

(2) इस बयान पर, अदालत ने पाया कि पति या पत्नी की कोई सहमति नहीं थी और याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़ा।

(3) अपीलकर्ता-पति के विद्वान वकील का कहना है कि ट्रायल कोर्ट पत्नी द्वारा शिकायत वापस लेने के निश्चित मामले को स्वीकार किए बिना याचिका को खारिज नहीं कर सकता था। केवल एक बयान कि वह उस दिन बयान देने के लिए तैयार नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता था कि वह आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश गलत था।

(4) यदि पत्नी द्वारा यह कथन दिए जाने पर सहजता बंद हो गई थी कि पत्नी द्वारा टाल-मटोल में आसानी हुई थी या निश्चित रूप से अदालत के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि वह आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका में दिए गए कथनों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी, तो अपील पूरी तरह से बनाए रखी जा सकती थी लेकिन अपीलकर्ता ने स्वयं एक बाद की घटना दायर की है***, अर्थात,*** हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन में वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई है। यहां तक कि आवेदन इस तथ्य का संदर्भ देता है कि धारा 13-बी के तहत आवेदन दोनों पक्षों द्वारा दायर किया गया था, लेकिन बाद में, याचिका खारिज कर दी गई थी और इसलिए, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन कौन कर रहा था।

(5) यद्यपि अपील आम तौर पर केवल पारित आदेश की वैधता या शुद्धता की जांच कर रही होगी, यहां एक बाद की घटना जो हुई है, यह इस तथ्य को साबित करती है कि पत्नी आपसी

सहमति से तलाक हासिल करने के लिए उनके बीच दर्ज समझौते की शर्तों से खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। बाद की सभी घटनाएं प्रासंगिक नहीं हैं और विभिन्न न्यायालयों में कई निर्णय आ रहे हैं कि बाद की घटना कब हो सकती है

(के. कन्नन, जे.)

अभी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए (कृपया देखें **छात्रों के माता-पिता संघ *बनाम* एमए खान**[1], अवमानना कार्यवाही में बाद की घटनाओं की प्रासंगिकता; **दुलारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम एचएसआईडीसी लिमिटेड**[2], न्यायसंगत राहत के लिए बाद की घटना की प्रासंगिकता; **एम. मो. बशसीसीआर *बनाम केरल राज्य***[3], **संविदात्मक मामलों** में: **शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मचाडो ब्रदर्स**[4], ***बाद की घटना जो पाठकों को निरर्थक लगती है:* रमेश कुमार बनाम केशोराम**[5] किराया नियंत्रण कार्यवाही में; **परिवार और पर्सनल लॉ में भरपुर सिंह बनाम शमशकर सिंह**[6] के मामले में। ये निर्णय केवल दृष्टांत हैं और संपूर्ण नहीं हैं। इस मामले में हालांकि याचिका को खारिज करना न्यायालय द्वारा उचित नहीं था, क्योंकि यह निश्चित सबूत के बिना एक आदेश पारित कर रहा था कि वह सहमति से वापस ले रही थी, बाद में तथ्य यह है कि पत्नी ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया था, यह दर्शाता है कि वह आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते से खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। यदि उसने नाम वापस ले लिया है (वह सहमति देता है, तो यह पति के लिए यह तर्क देने का आधार नहीं हो सकता है कि पार्टियों के बीच समझौता हुआ था और तलाक हासिल करने के लिए राशि का भुगतान किया गया है। कानून के तहत यह संभव है कि एक व्यक्ति 6 महीने के भीतर उसी से सहमत होने के लिए समझौता करके तलाक के लिए सहमत हो जाता है और जब तक कि पहले से कोई डिक्री पारित नहीं होती है, तब तक पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए की गई कार्रवाई को एक घटना के रूप में लिया जाएगा जो दर्शाता है कि वह समझौते से खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री भुगतने के लिए तैयार नहीं थी।

(6) इसलिए, अपील को खारिज कर दिया गया है, हालांकि आक्षेपित निर्णय में संदर्भित आधार से भिन्न आधार पर।समझौते के प्रभाव की अनिर्णायक प्रकृति से संबंधित इस न्यायालय द्वारा

[1] {2009)2 641

[2] (2009) 17 एससीसी 526

[3] (2003)6 एससीसी 159

[4] (2004) 11 एससीसी 168

[5] 1992 सप्लीमेंट (2) एस.सी.सी. 623

[6] (2009) 3 एससीसी 68

की गई टिप्पणी केवल आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही तक ही सीमित है और अपीलकर्ता पति पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन में बचाव में कथित समझौते की किसी भी शर्त पर भरोसा करने का हकदार है। अगर कानून ऐसा करने की अनुमति देता है।

जस्टिस ठाकुर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा